

का.आ.सं. Office Order No. HO/263/20

दिनांक / Date: 01.04.2025

विषय - विशेष कपड़ा रख-रखाव भत्ता


Sub: Special Clothing Maintenance Allowance

संदर्भ - कार्यालय आदेश सं. प्रका/263/019 दिनांक 13.06.2019

Ref: Office Order No. HO/263/019 dated 13.06.2019

-000-

- 1.0 निम्नलिखित वर्गों में आने वाले गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए विशेष कपड़ा रख-रखाव भत्ता कार्यालय आदेश सं. प्रका/263/019 दिनांक 13.06.2019 द्वारा अधिसूचित किया गया था।
The Special Clothing Maintenance Allowance was notified vide Office Order No. HO/263/019 dated 13.06.2019 for Non-Executive employees falling under the following categories:
 - a) सुरक्षा कार्मिक (अग्निशमन सेवा कार्मिकों सहित)
Security Personnel (including Fire Service Personnel)
 - b) ट्रैफिक चैकर, ड्राइवर (वरिष्ठ ड्राइवर और डिस्पैच राइडर सहित) और परिवहन विभाग में कार्यरत सभी वरिष्ठ ट्रैफिक सहायक।
Traffic Checkers, Drivers (incl. Senior Drivers and Despatch Riders) and all Senior Traffic Assistants working in Transport Department.
 - c) नर्सिंग स्टाफ / Nursing Staff
- 2.0 प्रबंधन ने विशेष कपड़ा रख-रखाव भत्ता के लिए देय राशि को बढ़ाकर रु. 800/- प्रति माह करने का निर्णय लिया है।
Management has decided to enhance the amount payable towards Special Clothing Maintenance Allowance to **Rs. 800/-** per month.
- 3.0 यह भत्ता ऊपर पैरा 1.0 में उल्लिखित गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को प्रत्येक माह के वेतन में अदा किया जाएगा। इस भत्ते को 'कैफेटीरिया दृष्टिकोण' के तहत 30% अनुलब्धियों की सीमा से बाहर रखा जाएगा।
This allowance will be paid along with the salary every month to the category of Non-Executive employees mentioned at Para 1.0 above. Also, the allowance will be kept outside the purview of 30% of perks under 'Cafeteria Approach'.
- 4.0 यह कार्यालय आदेश तत्काल रूप से लागू होता है और कार्यालय आदेश सं. प्रका/263/019 दिनांक 13.06.2019 को अधिक्रमित करता है।
This Office Order comes into force with immediate effect and supersedes the Office Order No. HO/263/019 dated 13.06.2019.


 महाप्रबंधक (मानव संसाधन) 1.4.25
GENERAL MANAGER (HR)


ई.डी. / जी.एम. EDs / GMs
यूनिट एच. आर. / वित्त प्रमुख UNIT HR / FINANCE HEADS
आर. ओ. / एम. सी. प्रमुख RO / MC HEADS

सीएमडी	डी (ओयू)	डी (आर एंड डी)	डी (एफ)	डी (एचआर)	डी (मार्केटिंग)	डी (बीसी)	सीवीओ
CMD	D (OU)	D (R&D)	D (F)	D (HR)	D (MKTG)	D (BC)	CVO